न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्र. /2013 निगरानी R-04-III/14

1. अशोक कुमार पुत्र राम मनोहर कायस्थ
2. दाऊराम पुत्र राममनोहर कायस्थ
3. रमाशंकर पुत्र राम मनोहर कायस्थ

निवासी– ग्राम पुरवा बम्होरी तहसील लौड़ी जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... **निगरानीकर्ता**

बनाम

1. काशीराम पुत्र अधरवा कुमार
2. देवीदयाल पुत्र अधरवा कुमार
3. लक्ष्मीप्रसाद पुत्र अधरवा कुमार

समस्त निवासी– ग्राम बम्होरी पुरवा तेह. लवकुश नगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... **उत्तरवादीगण**

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभि० द्वारा आज दि. 1-1-14 को प्रस्तुत

1-1-14

रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Bhi... 1.1.2014 प्रदीप श्रीवास्तव एड

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. विरूद्ध न्याया. अपर कलेक्टर छतरपुर के प्र.क्र. 109/निग./अपील/11–12 काशीराम बनाम अशोक कुमार के आदेश दिनांक 12.4.13 से दुखित होकर</u>

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित विनय प्रस्तुत करते हैं :–

1. यहकि, वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 967 रकवा 2.32 हैक्ट. निगरानीकर्तागण की पैतृक भूमि है तथा उनके पूर्वज उस पर कास्त करते रहे है। परंतु उत्तरवादीगण ने राजस्व अधिकारी से साठगांठ करने सं. 2020 में खसरे के कॉलम नं. 3 में भूमि स्वामी के स्थान पर बगैर किसी आदेश के उत्तरवादीगण के पिता द्वारा रिकार्ड में कटिंग करके अपना नाम अधरवा तनयम मतते कुम्हार दर्ज करवा लिया था निगरानीकर्तागण के पिता राममनोहर कायस्थ कृषि करते रहे।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :– निगरानी–04–तीन/2014 जिला–छतरपुर

अशोक कुमार आदि विरूद्ध काशीराम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12-02-2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण कमांक 109/निग./अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 12–04–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को आयुक्त सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 12/02/2019 सदस्य	